गोपनीय

विधान मण्डल में प्रस्तुत होने के पश्चात निर्गत हेतु

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रेस विज्ञप्ति

मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश शासन

प्रतिवेदन सं. 5 वर्ष 2025

(निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल)

प्रेस विज्ञप्ति

मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 5 वर्ष 2025

उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ मे मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-सिविल (प्रतिवेदन सं. 5 वर्ष 2025) दिनांक .... को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस प्रतिवेदन में 12 विभागों से संबंधित, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद और मंडी समितियों की कार्यप्रणाली, खेल विभाग की गतिविधियों और उत्तर प्रदेश में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 12 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों के परिणाम शामिल हैं।

राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद और मंडी समितियों की कार्यप्रणाली

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में 2017-18 से 2021-22 की अवधि में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद और मंडी समितियों के कामकाज का आकलन किया गया। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण नीचे दिया गया है:

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनयम, 1964 (अधिनियम) में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न हितधारकों में से नामित सदस्यों के माध्यम से मंडी समितियों के कामकाज का प्रावधान है तथा मंडी समिति में उत्पादकों के प्रतिनिधियों में से मनोनीत सदस्यों द्वारा सभापति/उपसभापति का चुनाव किया जाता है।तथापि, परिषद अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा मंडी समितियों का संचालन जारी रहा।

(पैराग्राफ 2.1.6.1)

2017-18 से 2021-22 के दौरान कुल प्राप्तियों (₹ 7,654.78 करोड़) में से, बोर्ड ने ₹ 4,173.17 करोड़ का व्यय किया और 251 बाजार समितियों ने ₹ 3,124.19 करोड़ का व्यय किया। 2019-20 के बाद परिषद और मंडी समितियों की प्राप्तियों में गिरावट की प्रवृति रही जिसके परिणामस्वरूप 2020-22 के मध्य उनका व्यय प्राप्तियों से अधिक हो गया। इसके अतिरिक्त, दुकानों के आवंटन पर ₹81.96 करोड़ का प्रीमियम, ₹11.78 करोड़ का किराया और ₹1.33 करोड़ का उपयोगकर्ता शुल्क मार्च 2022 तक राज्य में मंडी समितियों द्वारा आवंटित दुकानों/गोदामों पर बकाया था। पांच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, सीमेंट और मैक्सफाल्ट की आपूर्ति के लिये विभिन्न संस्थाओ को दिये गये ₹5.61 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान को मार्च 2022 तक समायोजित किया जाना शेष था।

(प्रस्तर 2.1.7.1 से 2.1.7.8)

राज्य में 12 प्रतिशत मंडी समितियों में प्रमुख मंडी स्थल निर्मित नहीं थे। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थानीय किसानों को स्थानीय स्तर पर उत्पाद बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिये निर्मित

133 ग्रामीण अवसंरचना केन्द्रों (रिन) में से अगस्त 2023 तक केवल 20 प्रतिशत ही क्रियाशील थे। इसके अतिरिक्त, किसानों को अपनी कृषि उत्पाद बेचने के लिये स्थानीय बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2011-12 से 2014-15 के मध्य निर्मित 1,643 कृषि विपणन केन्द्रों (एएमएच) में से जनवरी 2024 तक 29 प्रतिशत एएमएच अक्रियाशील रहे। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच की गई 21 मंडी समितियों के मंडी स्थलों में 309 दुकानें दिसंबर 2023 तक रिक्त थीं, जिनमें से 223 दुकानें संबंधित मंडी समितियों को हंस्तान्तरित किये जाने के बाद से कभी आवंटित नहीं की गईं।

(प्रस्तर 2.1.10.1 से 2.1.10.7)

परिषद ने समुचित संभाव्यता का अध्ययन किए बिना परियोजनाएं प्रारम्भ कीं जिसके परिणामस्वरूप आधारभूत संरचना निष्क्रिय रही, जैसे कि नोएडा में पुष्प मंडी पर ₹39.60 करोड़ रुपये व्यय किए गए, जो इसके पूर्ण होने के 15 वर्ष बाद भी क्रियाशील नहीं हुई तथा कन्नौज के ठठिया मंडी स्थल में आलू प्रसंस्करण इकाई को ₹11.71 करोड़ रुपये व्यय करने के बाद बीच में ही बंद कर दिया गया (मार्च 2017) ।

(प्रस्तर 2.1.11.1 से 2.1.11.3)

अनुशंसाएं-

- *राज्य सरकार को उत्पादकों, व्यापारियों, आढ़तिया, पल्लेदारों में से मण्डी समितियों में सदस्यों को मनोनीत करना चाहिये तथा सदस्यों द्वारा उनके सभापति एवं उपसभापति के चुनाव हेतु कार्यवाही करनी चाहिये।*
- *निधियों के बेहतर उपयोग के लिये प्रभावी तंत्र तैयार किया जाना चाहिये तथा उस पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखी जानी चाहिये।*
- *मण्डी समितियों और परिषद के समुचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिये सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की समय पर और उचित भर्ती की जानी चाहिये।*
- *मण्डी स्थलो के आन्तारिक परिसर में लाये गये प्रत्येक माल का वजन सुनिश्चित किया जाना चाहिये तथा मण्डी शुल्क की देय और भुगतान की गई राशि का मिलान किया जाना चाहिये। मण्डी स्थलो के संचालन में प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से प्राप्तियों की वसूली सुनिश्चित किया जाना चाहिये।*
- *मण्डी स्थल/मण्डी क्षेत्र में नए आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिये दीर्घकालिक नीति बनाई जानी चाहिये। उपयोगकर्ता मण्डी समिति के द्वारा उर्ध्वगामी दृष्टिकोण के आधार पर नये आधारभूत संरचना को आवश्यकतानुसार बनाया जाना चाहिये।*
- *सुविधाओं के बेहतर उपयोग के लिये, कृषि उत्पाद के क्रय एवं विक्रय हेतु बनाई गई अप्रयुक्त आधारभूत संरचनाओं का रख-रखाव किया जाना चाहिये और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें उपयोग में लाया जाना चाहिये।*

खेल विभाग की गतिविधियां

खेल विभाग की गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2016-22 की अवधि को आच्छादित करते हुये सम्पादित की गयी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष का विवरण निम्नवत वर्णित हैं:

खेल विभाग ने वर्ष 2016-22 के मध्य खेल अवस्थापनाओं के संवर्धन हेतु 56 कार्यों को क्रियान्वित किया। शासनादेश (सितंबर 2013) का उल्लंघन करते हुए, इन कार्यों को नामांकन के आधार पर कार्यदायी संस्थाओं को प्रदान किया। कार्यदायी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित नहीं किए गए, जिसके कारण खेल विभाग के पास निर्माण में विलम्ब के कारण परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाने का अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं को व्यवहार्यता प्रतिवेदन के बिना स्वीकृति दी गयी। नमूना जाँच किये गये जनपदों में अत्यधिक निवेश के पश्चात् निर्मित कई खेल अवस्थापनायें अप्रयुक्त पड़ी थीं, जिनमें से कई को मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता थी। खेल विभाग ने खेल अवस्थापनाओं की मरम्मत और रखरखाव के बारे में कोई नीति नहीं बनायी।बजटीय संसाधन तर्कसंगत रूप से आवंटित नहीं किए गए, जिससे बड़ी बचत हुयी जबकि सुविधाएं धन के अभाव के कारण प्रभावित हुयीं।

(प्रस्तर 2.2.7 और 2.2.8.1 से 2.2.8.5)

राज्य में तीन स्पोर्ट्स कॉलेज हैं जो पूरी तरह से खेल विभाग द्वारा वित्तपोषित हैं और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत कक्षा छह से कक्षा 12 (मानविकी स्ट्रीम) तक शिक्षा प्रदान करते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-22 के मध्य इन कॉलेजों द्वारा स्वीकृत क्षमता से 26 से 46 प्रतिशत के कम उपयोग किया गया। इन कॉलेजों में शैक्षणिक विषयों के पढ़ाने हेतु शिक्षक स्वीकृत क्षमता के अनुसार उपलब्ध नहीं थे।

(प्रस्तर 2.2.9 और 2.2.9.1 से 2.2.9.4)

खेल विभाग विभागीय प्रशिक्षकों और अंशकालिक प्रशिक्षकों की सेवाओं का उपयोग करके खेल छात्रावासों, स्पोर्ट्स कॉलेज और प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से उभरते खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। यद्यपि विभाग प्रशिक्षकों की कमी को प्रभावी ढंग से दूर नहीं कर सका । वर्ष 2016-22 के मध्य स्थायी और अंशकालिक प्रशिक्षकों में रिक्तियां क्रमशः 33 से 38 प्रतिशत और 13 से 60 प्रतिशत थीं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा प्रशिक्षित किए जा रहे खिलाड़ियों के बारे में संकलित डेटाबेस का रखरखाव नहीं किया जा रहा था, जिससे संसाधनों का आवश्यकता-आधारित आवंटन नहीं हो पा रहा था।

(प्रस्तर 2.2.10.1 और 2.2.12.1)

खेल विभाग ने खिलाड़ियों की पोषण स्तर का मूल्यांकन करने हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया। शासन ने (अक्टूबर 2020) कैलोरी की खेल विशेष आवश्यकताओं पर विचार किए बिना आहार

सूची को लागू किया। इसके अतिरिक्त, खेल विभाग ने प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के बीच डोपिंग के संबंध में जागरूकता हेतु कोई कदम नहीं उठाया।

(प्रस्तर 2.2.10.3 और 2.2.10.4)

राष्ट्रीय खेल नीति 2001 के अनुसार खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास किए जाएंगे। यद्यपि प्रशिक्षण शिविर में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी कम थी, साथ ही महिला प्रशिक्षकों की भी कमी थी।

(प्रस्तर 2.2.11.2)

खेल विभाग और खेल संघों के बीच समन्वय की कमी थी।

(प्रस्तर 2.2.11.3)

अनुशंसाएँ

- शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खेल अवस्थापनाओं का निर्माण विस्तृत सर्वेक्षण और आवश्यकता के आकलन के उपरांत किया जाय। ऐसे प्रकरणों में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना चाहिए जहाँ उपरोक्त का अनुपालन न किये जाने के कारण अलाभकारी व्यय हुआ।
- खेल सुविधाओं और उपकरणों के रखरखाव और मरम्मत का कार्य ससमय किया जाना चाहिए और उचित मूल्यांकन के उपरांत वर्ष के प्रारंभ में ही बजट उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन संबंधितों एवं संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए जहां ये सुविधाएं क्षतिग्रस्त और उपेक्षित हैं।
- शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण एजेंसियों के साथ समझौते में अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए, साथ ही उल्लंघन हेतु दंड का प्रावधान भी हो तथा कार्य पारदर्शी, उत्तरदायी और समयबद्ध रूप से निष्पादित किए जाएं।
- प्रशिक्षण कर्मचारी के रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। साथ ही शासन को उचित संख्या में फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं लेनी चाहिए।
- शासन को समस्त खेल प्रशिक्षुओं की प्रगति पर पर्याप्त निगरानी रखने हेतु डाटाबेस तैयार करना चाहिए।
- खिलाड़ियों की शिकायतों से निपटने हेतु सभी जनपदों में एक उत्तरदायी शिकायत निवारण तंत्र लागू किया जाना चाहिए।
- खिलाड़ियों/खेल प्रशिक्षुओं के मध्य निष्पक्ष खेल और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने हेतु डोपिंग के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने हेतु ठोस उपाय किए जाने चाहिए।

- राज्य में प्रतिस्पर्धात्मक खेलों को बढ़ावा देने हेतु खेल विभाग और खेल संघों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का कार्यान्वयन

यह जानने के लिए कि क्या दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) को प्रभावी ढंग से एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप लागू किया गया था, उत्तर प्रदेश में डीडीयू-जीकेवाई के कार्यान्वयन पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, अप्रैल 2016 से मार्च 2022 तक की अवधि को अच्छादित करते हुए आयोजित की गई। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण निम्नवत है:

प्रभावी आयोजना के लिए कौशल अंतर आंकलन एवं श्रमिक बाजार का अध्ययन, राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन योजना को तैयार करना तथा युवा स्तर डेटा बेस के सृजन जैसी गतिविधियाँ नहीं की गयीं थीं। लेखापरीक्षा में आच्छादित छह वर्षों की अवधि में प्रशिक्षण एवं नियोजन के लक्ष्यों की प्राप्ति में 15 प्रतिशत से 76 प्रतिशत तक की कमी थी।

(प्रस्तर 2.3.6.1, 2.3.8.1 और 2.3.9.1)

लेखापरीक्षा में ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों से प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित करने की अधिसूचनाओं में विलम्ब एवं परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के निष्पादन में विलम्ब पाया गया। इसके अतिरिक्त, संबंधित परियोजनाओं में शून्य नियोजन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के विरुद्ध समय पर कार्यवाही न करके उनको अनुचित लाभ पहुंचाया गया था। संदिग्ध/संदेहास्पद नियोजन एवं नियोजन के अनुसमर्थन में संदिग्ध बैंक खाता विवरणों का उपयोग, योजना के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए नियोजन के दावों पर चिंता का कारण थे|

(प्रस्तर 2.3.9.2 से 2.3.9.8, 2.3.11.3 और 2.3.11.4)

व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) को राज्य में योजना के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया था। यूपीएसडीएम द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों के अनुसार, नमूना जांच की गयी 28 परियोजनाओं में से 19 परियोजनाओं के द्वियमासिक निरीक्षण में यूपीएसडीएम द्वारा 57 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक तथा तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा निरीक्षण में 22 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की कमी पाई गयी।

(प्रस्तर 2.3.12.1)

अनुशंसाएं

- *कौशल अंतर आंकलन एवं श्रम बाजार के अध्ययन के आधार पर राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन योजना को बनाया जाना सुनिश्चित करे। अग्रेतर, योजना के कार्यान्वयन एवं उसकी व्यापक आयोजना के लिए राज्य स्तरीय युवा डेटा बेस तैयार किया जाना चाहिए।*

- *समय पर धनराशि निर्गत/उपयोग करने तथा ब्याज की देयता के सृजन से बचने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं ग्राम्य विकास विभाग के मध्य आपसी समन्वय सुनिश्चित करे।*
- *परियोजनाओं की स्वीकृति से पूर्व, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रदर्शन का आंकलन करे एवं पिछली परियोजनाओं में प्रशिक्षण एवं नियोजन के दावे को सत्यापित करे।*
- *दोषी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रकरण में दंडात्मक ब्याज के साथ अवमुक्त की गई धनराशि की शीघ्र वसूली के लिए तत्काल कार्यवाही करे।*
- *नियोजन एवं प्रशिक्षण के संबंध में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के दावों की वास्तविकता को आश्वस्त करने तथा असत्य दावों के उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत बैंक खाता विवरण सहित नियोजन के अभिलेखों की समीक्षा करे।*
- *कौशल विकास योजना के सुचारू कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए राज्य, जनपद तथा उप-जनपद स्तर पर समर्पित कौशल टीम की तैनाती सुनिश्चित करे।*

लेखापरीक्षा प्रस्तर

कृषि शिक्षा और अनुसंधान विभाग

कार्यक्षेत्र की व्यापकता के निर्धारण में शिथिलता, विभागीय स्तर पर धनराशि निर्गत करने में विलम्ब तथा निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पहले कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप कृषि अभियान्त्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के अधूरे निर्माण पर ₹ 54.80 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, परिणामस्वरुप परियोजना का वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

(प्रस्तर 3.1)

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

मांग सर्वेक्षण के बिना स्व-वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 680 फ्लैटों के निर्माण करने के आवास एवं विकास परिषद के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण, 488 फ्लैटों का निर्माण स्टिल्ट स्तर पर अधूरा छोड़ देने के परिणामस्वरूप परित्यक्त अपूर्ण संरचना पर ₹ 42.02 करोड़ का किया गया व्यय अलाभकारी हो गया।

(प्रस्तर 3.2)

चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग

गृह कर के बकाया पर ब्याज के कारण बाबा राघव दास चिकित्सा महाविद्यालय, गोरखपुर द्वारा ₹ 81.30 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान किया गया था।

(प्रस्तर 3.3)

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

राज्य सरकार दिसंबर 2016 में भवन निर्माण के बावजूद डॉ. राम मनोहर लोहिया पुरुष अस्पताल, फर्रुखाबाद में प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट के संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध नहीं करा सकी, जिसके परिणामस्वरूप भवन के निर्माण और उपकरणों / साज-सज्जा की खरीद पर ₹ 1.96 करोड़ रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ।

(प्रस्तर 3.4)

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग

विभागीय शिथिलता एवं कार्यदायी संस्था की निष्क्रियता के कारण, केंद्रीय कारागार, बरेली में स्थापित मोबाइल फोन जैमरों को पावर बैकउप प्रदान करने हेतु स्थापित सौर ऊर्जा आधारित बैकअप प्रणाली के पांच वर्षों के बाद भी अक्रियाशील रहने के कारण प्रणाली को बैकअप प्रदान करने का उद्देश्य विफल रहा। अतः बैकअप प्रणाली की स्थापना पर किया गया ₹ 1.95 करोड़ का व्यय अलाभकारी हो गया।

(प्रस्तर 3.5)

प्राविधिक शिक्षा विभाग

शासकीय पॉलिटेक्निक में सात महिला छात्रावासों को उनके हस्तांतरण के दो से चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी क्रियाशील नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, इनकी स्वीकृति के सात साल से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी, तीन पूर्ण हो चुके छात्रावास अभी भी हस्तांतरित नहीं किये जा सके और एक छात्रावास का निर्माण अभी भी अपूर्ण है, जिसके कारण इनके निर्माण पर किया गया ₹ 21.22 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 3.6)

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के लिए भवन निर्माण कार्य पर किए गए ₹ 8.37 करोड़ का व्यय पर्याप्त निधि निर्गत करने में विलंब के कारण अलाभकारी रहा, जिसके परिणामस्वरूप दिसंबर 2021 से कार्य रोक दिया गया।

(प्रस्तर 3.7)

शहरी विकास विभाग

नगर पंचायत, उस्का बाजार, सिद्धार्थनगर ने नगर पंचायत की पूर्ण रूप से स्वामित्व न रखने वाली भूमि पर व्यावसायिक दुकानों का निर्माण प्रारम्भ किया, जिसके कारण जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर के साथ विवाद उत्पन्न हुआ और सात वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी निर्माण पूरा नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप अपूर्ण व्यावसायिक दुकानों पर ₹1.36 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ।

(प्रस्तर 3.8)

वित्तीय नियमों और कान्हा पशु आश्रय योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, नगर पालिका परिषद, सिसवा बाजार, महाराजगंज और नगर पंचायत, उस्का बाजार, सिद्धार्थनगर ने निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना पशु आश्रय गृहों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया, जिसके कारण ₹ 96.63 लाख व्यय होने के बाद निर्माण कार्य रोक दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप छह वर्ष से अधिक समय तक इन निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय अलाभकारी रहा |

(प्रस्तर 3.9)

मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में छह वर्ष से अधिक समय से परित्यक्त पड़े हुए भव्य पंडाल के अधूरे निर्माण पर किया गया ₹ 4.91 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 3.10)

नगर निगम लखनऊ वर्ष 2008 में प्रारम्भ हुए शूटिंग रेंज के निर्माण कार्य को पूरा करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अपूर्ण शूटिंग रेंज पर ₹ 18.61 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ|

(प्रस्तर 3.11)

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग **और** *अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग*

बलरामपुर जिले में कटरा शंकर नगर, तुलसीपुर और श्री दत्त गंज में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) का निर्माण कार्य भूमि प्रदान करने में देरी और निर्माण के लिए आवश्यक अनुमानित निधि की मंजूरी सुनिश्चित किए बिना काम शुरू करने के कारण इसकी स्वीकृति के ग्यारह वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका। इस प्रकार, अपूर्ण आईटीआई भवनों पर किए गए ₹ 10.76 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 3.12)

राजकुमार

(राज कुमार)
प्रधान महालेखाकार

इन विषयों पर किसी भी अन्य जानकारी के लिए, कृपया निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:
प्रवक्ता : व. उप महालेखाकार
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज-211001
ईमेल : dagadmn.up2.au@cag.gov.in   वेबसाइट : https://cag.gov.in/ag1/uttar pradesh/en
फोन : 0532-2624757   फैक्स नं. : 05322424102